

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/30/2015/19/यो 6833  
प्रति,

भोपाल दिनांक 2/11/2015

✓ प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 126वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 126वीं बैठक जो दिनांक 13.10.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार सिंहस्थ मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	उज्जैन	78	अंगारेश्वर मंदिर पहुँच मार्ग का प्रोटेक्शन कार्य	0.60	45.00
2	उज्जैन	78	डी. आर. पी. लाईन पहुँच मार्ग सुधार कार्य	1.45	47.00
3	उज्जैन	78	गढकालिका से ओखलेश्वर पुल पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	1.30	102.92
4	उज्जैन	78	सिकंदरी से आउटर रिंग रोड तक कच्चे मार्ग का निर्माण कार्य	3.00	15.08

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मांग संख्या 78 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्य हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)

सचिव

म0प्र0 शासन लो०नि०वि०

भोपाल दिनांक 2/11/2015

पृ० क्रमांक एफ-43/30/2015/19/यो 6834  
प्रतिलिपि:-

1- मुख्य अभियंता (उज्जैन परि०) लोक निर्माण विभाग उज्जैन।

2- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य

सचिव

म0प्र0 शासन लो०नि०वि०

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/30/2015/19/यो 6837

भोपाल दिनांक 02/11/2015

प्रति,

✓ प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 126वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 126वीं बैठक जो दिनांक 13.10.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार कार्य की लागत 1.00 करोड से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक न होने के कारण दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मार्ग संख्या	मार्ग का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	होशंगाबाद	24/5054	सिवनी मालवा बायपास मिसिंग लिंक रोड	1.14	99.98
2	टीकमगढ़	64/5054	बगाज माता पहुँच मार्ग	1.40	98.75
3	जबलपुर	67/2059	महाधिवक्ता कार्यालय में में सिविल कार्य	-	64.59
4	जबलपुर	67/2059	महाधिवक्ता कार्यालय में विद्युतीकरण एवं नवीन लिफ्ट स्थापित किया जाने का कार्य	-	54.38

2/ उक्त कार्यों हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में मार्ग संख्या 24/5054, 64/5054 एवं 67/2059 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराया जावे। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किया जाता है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराया जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावे।

3/ उपरोक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावे।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल)  
सचिव

म0प्र0 शासन लो०नि०वि०


पू० क्रमांक एफ-43/30/2015/19/यो 6838-

भोपाल दिनांक 02/11/2015

प्रतिलिपि:-

- 1- मुख्य अभियंता (राज० परि०) लोक निर्माण विभाग भोपाल।
- 2- मुख्य अभियंता (सागर परि०) लोक निर्माण विभाग सागर।
- 3- मुख्य अभियंता (मध्य परि०) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।
- 4- निज सचिव, मान. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 04 के लिये) एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:-शून्य

  
सचिव 2/11/15  
मं०प्र० शासन लो०नि०वि०

मध्यप्रदेश शासन  
लोक निर्माण विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/30/2015/19/यो 6839  
प्रति,

भोपाल दिनांक 02/11/2015

प्रमुख अभियंता  
लोक निर्माण विभाग  
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 126वीं बैठक।  
(छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत सामरबोह सुरंगी खमारपानी मार्ग (कि. मी. 14 एवं 17)

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 126वीं बैठक जो दिनांक 13.10.2015 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार छिन्दवाड़ा जिले के अंतर्गत सामरबोह सुरंगी खमारपानी मार्ग (कि. मी. 14 एवं 17) लंबाई 2.00 कि0मी0 का निर्माण के लिये जिसकी लागत 78.25 लाख (रुपये अठहत्तर लाख पच्चीस हजार) केवल से अधिक न हो की योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2015-16 के बजट में माँग संख्या 64/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्य हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्राक्कलन राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्य हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्य को वेबसाईड पर डाला जाय।

(सचिव, लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहपत्र:-01 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(चन्द्रप्रकाश अग्रवाल) 21/11

सचिव

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

भोपाल दिनांक 02/11/2015

पू0 क्रमांक एफ-43/30/2015/19/यो 6840  
प्रतिलिपि:-

1- मुख्य अभियंता (मध्य परि0) लोक निर्माण विभाग जबलपुर।

2- निज सचिव, मान0. मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल क्रमांक 02 के लिये) तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र:- शून्य-

सचिव 21/11

म0प्र0 शासन लो0नि0वि0